प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उ0प्र0।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./IEC/2017–18/ 13451-75 दिनांक 30/03/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रक्तकोषों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार मद में हॉर्डिंग स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2017–18 में ब्लड सर्विसेज हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या **B.10.7.4.5** पर आई0ई0सी0 मद में रक्तकोषों एवं रक्त भण्डारण केन्द्रों पर Printing of cards for screening of children for hemoglobinopathies and other IEC aactivies related to blood services and blood disorders हेतु कुल रू0 155.70 धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त के अन्तर्गत स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन व प्रचार–प्रसार हेतु परमानेन्ट हॉर्डिंग स्थापना हेतु कुल 93 राजकीय रक्तकोष/चिकित्सा संस्थान पर प्रति हॉर्डिंग रू0 20000/– की दर से प्रति इकाई 02 नग परमानेन्ट हॉर्डिंग की स्थापना हेतु कुल रू0 35.60 लाख मात्र की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 22.03.2018 को इनवाइस संख्या/through Debit Note द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है–

Sl. No.	Name of District	Name of Blood Bank	Blood Bank Hording Establishment Under IEC Activity @ 20000/hording 02 hording /bb FMR Code B.10.7.4.5	
			No of Hording	District Allocation
1	Agra	S.N. Medical College	2	40,000.00
2	Agra	District Hospital	2	40,000.00
3	Aligarh	JN Medical College	2	40,000.00
4	Aligarh	District Hospital	2	40,000.00
5	Allahabad	MLN Medical College	2	40,000.00
6	Allahabad	District Hosp.	2	40,000.00
7	Allahabad	TB Sapru Hospital	2	40,000.00
8	Ambedkarnagar	District Hospital	2	40,000.00
9	Ambedkarnagar	Medical College	2	40,000.00
10	Amethi	District Hospital	0	**0.00**
11	Amroha	District Hospital	2	40,000.00
12	Auraiya	District Hospital	2	40,000.00
13	Azamgarh	District Hospital	2	40,000.00
14	Badaun	District Hospital	2	40,000.00
15	Baghpat	District hospital	2	40,000.00
16	Bahraich	District Hospital	2	40,000.00
17	Ballia	District Hospital	2	40,000.00
18	Balrampur	District Hospital	2	40,000.00
19	Banda	District Hospital	2	40,000.00
20	Barabanki	District Hospital	2	40,000.00
21	Bareilly	District Hospital	2	40,000.00
22	Basti	Opec KALLY	2	40,000.00
23	Basti	District Hospital	2	40,000.00
24	Bijnor	District Hospital	2	40,000.00
25	Bulandshahar	District Hospital	2	40,000.00

Sl. No.	Name of District	Name of Blood Bank	Blood Bank Hording Establishment Under IEC Activity @ 20000/hording 02 hording /bb FMR Code B.10.7.4.5	
			No of Hording	District Allocation
26	Chandauli	District Hospital	2	40,000.00
27	Chitrakoot	District Hospital	2	40,000.00
28	Deoria	District Hospital	2	40,000.00
29	Etah	District Hospital	2	40,000.00
30	Etawah	RIMS,R Saifai	2	40,000.00
31	Etawah	District Hospital	2	40,000.00
32	Faizabad	District Hospital	2	40,000.00
33	Farrukhabad	District Hospital	2	40,000.00
34	Fatehpur	District Hospital	2	40,000.00
35	Firozabad	District Hospital	2	40,000.00
36	G B Nagar	District hospital	2	40,000.00
37	Ghaziabad	District Hospital	2	40,000.00
38	Ghazipur	District Hospital	2	40,000.00
39	Gonda	District Hospital	2	40,000.00
40	Gorakhpur	BRD Medical College	2	40,000.00
41	Gorakhpur	District Hospital	2	40,000.00
42	Hamirpur	District Hospital	2	40,000.00
43	Hapur	District Hospital	0	0.00
44	Hardoi	District Hospital	2	40,000.00
45	Hathras	District Hospital	2	40,000.00
46	Jaunpur	District Hospital	2	40,000.00
47	Jhansi	MLB Medical College	2	40,000.00
48	Jhansi	District Hospital	2	40,000.00
49	Kannauj	BSDBA Medical College	2	40,000.00
50	Kannauj	District Hospital	2	40,000.00
51	Kanpur Dehat	District Hospital	2	40,000.00
52	Kanpur Nagar	GSVM Medical College	2	40,000.00
53	Kanpur nagar	UHM hospital	2	40,000.00
54	Kasganj	District Hospital	2	40,000.00
55	Kaushambhi	District Hospital	2	40,000.00
56	Kushinagar	District Hospital	2	40,000.00
57	Lakhimpur Kheri	District Hospital	2	40,000.00
58	Lalitpur	District Hospital	2	40,000.00
59	Lucknow	SGPGIMS	2	40,000.00
60	Lucknow	KGMU	2	40,000.00
61	Lucknow	Dr SPM Hosp.	2	40,000.00
62	Lucknow	Balrampur Hosp.	2	40,000.00
63	Lucknow	Dr R M L Hospital	2	40,000.00
64	Maharajganj	District Hospital	2	40,000.00
65	Mahoba	District Hospital	2	40,000.00
66	Mainpuri	District Hospital	2	40,000.00
67	Mathura	District Hospital	2	40,000.00
68	Mau	District Hospital	2	40,000.00
69	Meerut	LLRM Medical College	2	40,000.00
70	Meerut	PL Sharma Distt. Hosp.	2	40,000.00
71	Mirzapur	District Hospital	2	40,000.00
72	Moradabad	DDU Dist Hosp	2	40,000.00
73	Muzaffar nagar	District Hospital	2	40,000.00
74	Orai (Jalaun)	District Hospital	2	40,000.00
75	Pilibhit	District Hospital	2	40,000.00
76	Pratapgarh	District Hospital	2	40,000.00

Sl. No.	Name of District	Name of Blood Bank	Blood Bank Hording Establishment Under IEC Activity @ 20000/hording 02 hording /bb FMR Code B.10.7.4.5	
			No of Hording	District Allocation
77	RaiBareilly	District Hospital	2	40,000.00
78	Rampur	District Hospital	2	40,000.00
79	Saharanpur	SBD Hospital	2	40,000.00
80	Sant Kabir Ngr	District Hospital	2	40,000.00
81	Santravidas Ngr	District Hospital	2	40,000.00
82	Shahjahanpur	District Hospital	2	40,000.00
83	Shambhal	District Hospital	0	0.00
84	Shamli	District Hospital	0	0.00
85	Shrawasti	District Hospital	2	40,000.00
86	Siddharthanagar	District Hospital	2	40,000.00
87	Sitapur	District Hospital	2	40,000.00
88	Sonebhadra	District Hospital	2	40,000.00
89	Sultanpur	District Hospital	2	40,000.00
90	Unnao	District Hospital	2	40,000.00
91	Varanasi	IMS, BHU	2	40,000.00
92	Varanasi	SSPG Dist Hosp	2	40,000.00
93	Varanasi	Pt DDU Hospital	2	40,000.00
Total			178	3560000.00

1. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी 47संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

11. होंडिंग का प्रोटोटाइप पत्र एवं मेल के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न प्रोटोटाइप के अनुंसार ही होंडिंग की स्थानपा निम्नानुसार कराना सुनिश्चित करें–

- होंडिंग की डिजाइन प्रोटोटाइप के अनुसार बहुरंगीय एवं इसका साइज 20X20 फुट होगा।
- होंडिंग हेतु 340 जी0एस0एम0 स्टार मीडिया फ्लैक्स का प्रयोग किया जाय।
- स्थापित की जाने वाली होंडिंग न्यूनतम् 06 माह के लिए स्थापित होगी ।
- 20X20 फुट साइज की होंडिंग जीन गार्डर पर मजबूती के लिए मोटे लोहे के ऐंगिलों पर खडा/बेडा भराव देकर नट बोल्ट से लगाया जाय।
- **जिन जनपदों के जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन व डायलिसिस की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है उन जनपदों द्वारा इस होंडिंग में सी0टी0 स्कैन व डायलिसिस की निःशुल्क सेवाओं के प्रचार–प्रसार हेतु भी सूचना अंकित करना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाय।**

12. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थापित आई0ई0सी0 सेल के माध्यम से उक्त होंडिंग स्थापित की जानी है। एक होंडिंग रक्तकोष पर तथा दूसरी होंडिंग जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सार्वजनिक स्थान पर स्थापित कराना सुनिश्चित करें जहाँ जनमानस का अधिक से अधिक आवागमन हो।

13. स्थापित होंडिंग का सत्यापन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक से कराते हुए सम्बन्धित होंडिंग की फोटो राज्य मुख्यालय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./ IEC/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक,उपचार,स्वास्थ्य महानिदेशालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रभारी,राजकीय ब्लड बैंक,उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0,एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक,ब्लड सेल

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उ0प्र0।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0 / Blood Ser. / IEC/2017–18 / दिनांक 30/03/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रक्तकोषों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार मद में होंर्डिंग स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2017–18 में ब्लड सर्विसेज हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या **B.10.7.4.5** पर आई0ई0सी0 मद में रक्तकोषों एवं रक्त भण्डारण केन्द्रों पर Printing of cards for screening of children for hemoglobinopathies and other IEC aactivies related to blood services and blood disorders हेतु कुल रू0 155.70 धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त के अन्तर्गत स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन व प्रचार–प्रसार हेतु परमानेन्ट होंर्डिंग स्थापना हेतु कुल 93 राजकीय रक्तकोष / चिकित्सा संस्थान पर प्रति होंर्डिंग रू0 20000 / – की दर से प्रति इकाई 02 नग परमानेन्ट होंर्डिंग की *स्थापना हेतु कुल रू0 35.60 लाख मात्र की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की* जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 22.3.2018 को इनवाइस संख्या / Through Debit Note द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है–

Sl. No.	Name of District	Name of Blood Bank	Blood Bank Hording Establishment Under IEC Activity @ 20000/hording 02 hording /bb FMR Code B.10.7.4.5	
			No of Hording	District Allocation
1	Agra	S.N. Medical College	2	40,000.00
2	Agra	District Hospital	2	40,000.00
3	Aligarh	JN Medical College	2	40,000.00
4	Aligarh	District Hospital	2	40,000.00
5	Allahabad	MLN Medical College	2	40,000.00
6	Allahabad	District Hosp.	2	40,000.00
7	Allahabad	TB Sapru Hospital	2	40,000.00
8	Ambedkarnagar	District Hospital	2	40,000.00
9	Ambedkarnagar	Medical College	2	40,000.00
10	Amethi	District Hospital	0	0.00
11	Amroha	District Hospital	2	40,000.00
12	Auraiya	District Hospital	2	40,000.00
13	Azamgarh	District Hospital	2	40,000.00
14	Badaun	District Hospital	2	40,000.00
15	Baghpat	District hospital	2	40,000.00
16	Bahraich	District Hospital	2	40,000.00
17	Ballia	District Hospital	2	40,000.00
18	Balrampur	District Hospital	2	40,000.00
19	Banda	District Hospital	2	40,000.00
20	Barabanki	District Hospital	2	40,000.00
21	Bareilly	District Hospital	2	40,000.00
22	Basti	Opec KALLY	2	40,000.00
23	Basti	District Hospital	2	40,000.00
24	Bijnor	District Hospital	2	40,000.00
25	Bulandshahar	District Hospital	2	40,000.00

Sl. No.	Name of District	Name of Blood Bank	Blood Bank Hording Establishment Under IEC Activity @ 20000/hording 02 hording /bb FMR Code B.10.7.4.5	
			No of Hording	District Allocation
26	Chandauli	District Hospital	2	40,000.00
27	Chitrakoot	District Hospital	2	40,000.00
28	Deoria	District Hospital	2	40,000.00
29	Etah	District Hospital	2	40,000.00
30	Etawah	RIMS,R Saifai	2	40,000.00
31	Etawah	District Hospital	2	40,000.00
32	Faizabad	District Hospital	2	40,000.00
33	Farrukhabad	District Hospital	2	40,000.00
34	Fatehpur	District Hospital	2	40,000.00
35	Firozabad	District Hospital	2	40,000.00
36	G B Nagar	District hospital	2	40,000.00
37	Ghaziabad	District Hospital	2	40,000.00
38	Ghazipur	District Hospital	2	40,000.00
39	Gonda	District Hospital	2	40,000.00
40	Gorakhpur	BRD Medical College	2	40,000.00
41	Gorakhpur	District Hospital	2	40,000.00
42	Hamirpur	District Hospital	2	40,000.00
43	Hapur	District Hospital	0	0.00
44	Hardoi	District Hospital	2	40,000.00
45	Hathras	District Hospital	2	40,000.00
46	Jaunpur	District Hospital	2	40,000.00
47	Jhansi	MLB Medical College	2	40,000.00
48	Jhansi	District Hospital	2	40,000.00
49	Kannauj	BSDBA Medical College	2	40,000.00
50	Kannauj	District Hospital	2	40,000.00
51	Kanpur Dehat	District Hospital	2	40,000.00
52	Kanpur Nagar	GSVM Medical College	2	40,000.00
53	Kanpur nagar	UHM hospital	2	40,000.00
54	Kasganj	District Hospital	2	40,000.00
55	Kaushambhi	District Hospital	2	40,000.00
56	Kushinagar	District Hospital	2	40,000.00
57	Lakhimpur Kheri	District Hospital	2	40,000.00
58	Lalitpur	District Hospital	2	40,000.00
59	Lucknow	SGPGIMS	2	40,000.00
60	Lucknow	KGMU	2	40,000.00
61	Lucknow	Dr SPM Hosp.	2	40,000.00
62	Lucknow	Balrampur Hosp.	2	40,000.00
63	Lucknow	Dr R M L Hospital	2	40,000.00
64	Maharajganj	District Hospital	2	40,000.00
65	Mahoba	District Hospital	2	40,000.00
66	Mainpuri	District Hospital	2	40,000.00
67	Mathura	District Hospital	2	40,000.00
68	Mau	District Hospital	2	40,000.00
69	Meerut	LLRM Medical College	2	40,000.00
70	Meerut	PL Sharma Distt. Hosp.	2	40,000.00
71	Mirzapur	District Hospital	2	40,000.00
72	Moradabad	DDU Dist Hosp	2	40,000.00
73	Muzaffar nagar	District Hospital	2	40,000.00
74	Orai (Jalaun)	District Hospital	2	40,000.00
75	Pilibhit	District Hospital	2	40,000.00
76	Pratapgarh	District Hospital	2	40,000.00

Sl. No.	Name of District	Name of Blood Bank	Blood Bank Hording Establishment Under IEC Activity @ 20000/hording 02 hording /bb FMR Code B.10.7.4.5	
			No of Hording	District Allocation
77	RaiBareilly	District Hospital	2	40,000.00
78	Rampur	District Hospital	2	40,000.00
79	Saharanpur	SBD Hospital	2	40,000.00
80	Sant Kabir Ngr	District Hospital	2	40,000.00
81	Santravidas Ngr	District Hospital	2	40,000.00
82	Shahjahanpur	District Hospital	2	40,000.00
83	Shambhal	District Hospital	0	0.00
84	Shamli	District Hospital	0	0.00
85	Shrawasti	District Hospital	2	40,000.00
86	Siddharthanagar	District Hospital	2	40,000.00
87	Sitapur	District Hospital	2	40,000.00
88	Sonebhadra	District Hospital	2	40,000.00
89	Sultanpur	District Hospital	2	40,000.00
90	Unnao	District Hospital	2	40,000.00
91	Varanasi	IMS, BHU	2	40,000.00
92	Varanasi	SSPG Dist Hosp	2	40,000.00
93	Varanasi	Pt DDU Hospital	2	40,000.00
Total			178	3560000.00

1. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्व पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी 47संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।
11. होंडिंग का प्रोटोटाइप पत्र एवं मेल के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न प्रोटोटाइप के अनुंसार ही होंडिंग की स्थानपा निम्नानुसार कराना सुनिश्चित करें–
    - होंडिंग की डिजाइन प्रोटोटाइप के अनुसार बहुरंगीय एवं इसका साइज 20X20 फुट होगा।
    - होंडिंग हेतु 340 जी0एस0एम0 स्टार मीडिया फ्लैक्स का प्रयोग किया जाय।
    - स्थापित की जाने वाली होंडिंग न्यूनतम् 06 माह के लिए स्थापित होगी ।
    - 20X20 फुट साइज की होंडिंग जीन गार्डर पर मजबूती के लिए मोटे लोहे के ऐंगिलों पर खडा/बेडा भराव देकर नट बोल्ट से लगाया जाय।
    - **जिन जनपदों के जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन व डायलिसिस की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है उन जनपदों द्वारा इस होंडिंग में सी0टी0 स्कैन व डायलिसिस की निःशुल्क सेवाओं के प्रचार–प्रसार हेतु भी सूचना अंकित करना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाय।**
12. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थापित आई0ई0सी0 सेल के माध्यम से उक्त होंडिंग स्थापित की जानी है। एक होंडिंग रक्तकोष पर तथा दूसरी होंडिंग जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सार्वजनिक स्थान पर स्थापित कराना सुनिश्चित करें जहाँ जनमानस का अधिक से अधिक आवागमन हो।
13. स्थापित होंडिंग का सत्यापन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक से कराते हुए सम्बन्धित होंडिंग की फोटो राज्य मुख्यालय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./ IEC/2017–18/ 13451-75 (10) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक,उपचार,स्वास्थ्य महानिदेशालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
8. समस्त प्रभारी,राजकीय ब्लड बैंक,उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0,एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक,ब्लड सेल